दिनांक	आज्ञा पत्र
18/12/23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 21/2/24 पेश हों।
21/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आव्हान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19:4:24 को पेश हो।
22-4-24	पत्रावली दिनांक 19:4:24 को नियत थी। उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में आई। पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दिनांक 3:6:24 को पेश हो।
3-6-24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर